रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30072020-220784
CG-DL-E-30072020-220784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 296] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 29, 2020/श्रावण 7, 1942
No. 296] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 29, 2020/SHRAVANA 7, 1942

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली 29 जुलाई, 2020

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

(केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020

सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ङ), खंड (ञ), खंड (ट), खंड (ठ), खंड (ढ) खंड (ण) और खंड (त) के साथ पठित उसकी उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है। नामतः -

1. इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2020 है।

2. यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

3. पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015 में: -

(I) मौजूदा विनियम 5 निम्नलिखित रुप से प्रतिस्थापित किया जाएगा:-

सूचना का प्रकटन –(1) पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, आवेदक, उसके या उसके निदेशकों या उसके प्रमुख अधिकारियों के विरुद्ध किसी विधि, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण के अथवा किसी अन्य विनियामक निकाय या सरकार के अनुदेशों का अनुपालन न किए जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही या विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में उपयुक्त जानकारी प्राधिकरण को शीघ्र ही प्रदान करेगा।

(2) प्राधिकरण अभिदाताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए, जैसा भी अभिदाता के हित में हो, सार्वजनिक रूप से सभी सूचनाएं प्रकट कर सकता है और आवेदक को भी ऐसी सूचनाएं प्रदान करने की सलाह दे सकता है ।

(3) आवेदन की विचाराधीनता के दौरान, आवेदक प्राधिकरण को उप-विनियम (1) के तहत प्रदान की गई जानकारी में किसी भी परिवर्तन के विषय में तुरंत सूचित करेगा।

परन्तु, उप-विनियम (1) के तहत प्रदान की गई गई जानकारी में किसी भी तरह के परिवर्तन के विषय में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने के पश्चात्, ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों की अवधि के भीतर, केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण द्वारा प्राधिकरण को सूचित किया जाएगा ।

(II) विनियम 46 के उप-विनियम (6) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा :

केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण, उसके या उसके निदेशकों या उसके प्रमुख अधिकारियों के विरुद्ध पूर्व में शुरू की गई कार्यवाही या विधिक कार्यवाही के साथ-साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसके द्वारा किसी विधि, नियमों, विनियमों और प्राधिकरण के अथवा किसी अन्य विनियामक निकाय या सरकार के अनुदेशों का अनुपालन न किए जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही या विधिक कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राधिकरण को शीघ्र ही सूचित करेगा।

दिनांक :

स्थान: सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /152/2020-21]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) विनियम, 2015, भारत के राजपत्र में 27 अप्रैल 2015 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2018, भारत के राजपत्र में 25 जून 2018 को, सं.पीएफआरडीए/12/आरजीएल/139/7 के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th July, 2020

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (CENTRAL RECORDKEEPING AGENCY) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

No. PFRDA/12/RGL/139/7.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 52 read with clauses (e),(j), (k), (l), (n), (o) and (p) of sub-section (2) of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority(Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 namely,: ─

1. These regulations may be called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (Second Amendment) Regulations, 2020.
2. These shall come into force on the date of their publication in the official gazette.

IndiaCode

3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015:-

(I) Regulation 5 shall be substituted as below

Disclosure of information- (1) While filing the application for registration, the applicant shall disclose all relevant information including any action or legal proceedings initiated against it, its directors or its principal officers in the past including the pending proceedings, for any material breach or non-compliance by them of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body or Government.

(2) The Authority, having regard to the interest of the subscribers may disclose and may also advise the applicant to disclose all or such information, as it may deem fit in the interest of the subscribers, in the public domain.

(3) During pendency of the application, the applicant shall immediately inform the Authority any change in the information furnished under sub regulation (1).

Provided that any material change in the information furnished under sub-regulation (1) shall be intimated to the Authority by Central Recordkeeping Agency after grant of registration, within fifteen days of the occurrence of such change

(II) Sub regulation (6) of Regulation 46 shall be substituted as below :

The Central Recordkeeping Agency shall promptly inform the Authority about any action or legal proceedings initiated against it, its directors or its principal officers in the past including the pending proceedings, as well as those which have been initiated after grant of registration certificate, for any material breach or non-compliance by them of any law, rules, regulations, and directions of the Authority or of any other regulatory body or Government.

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./152/2020-21]

Footnote:

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 27th April, 2015 *vide* No. PFRDA/12/ RGL/139/7.
2. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Central Recordkeeping Agency) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 25th June, 2018 *vide* No. PFRDA/12/ RGL/139/7.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.07.30 22:07:19 +05'30'